भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4492

दिनांक 19 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

.....

जल संरक्षण परियोजनाओं में सामुदायिक भागीदारी

4492. श्री यदुवीर वाडियारः

श्री अमर शरदराव कालेः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जल शक्ति अभियानः कैच द रेन के अंतर्गत जल संरक्षण परियोजनाओं की योजना, कार्यान्वयन और रखरखाव में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई), स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) और स्थानीय सामुदायिक समूहों की क्या भूमिका है और इससे देश में क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) देश में स्थानीय हितधारकों के क्षमता निर्माण और तकनीकी प्रशिक्षण के लिए जल शक्ति केन्द्रों की स्थापना और नल जल मित्र कार्यक्रम के कार्यान्वयन सहित क्या पहलें की गई हैं; और

(घ) ऐसी समुदाय आधारित पहलों का विभिन्न क्षेत्रों में जल संरक्षण के प्रयासों की निरंतरता और प्रभावकारिता पर राज्य-वार क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (घ): 'जल' के राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधनों के संरक्षण सहित, इससे संबंधित पहलुओं का अध्ययन, आयोजना, वित्तपोषण और कार्य-निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार स्वयं किया जाता है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे उपायों और प्रयासों में सहायता की जाती है।

जल शक्ति मंत्रालय ने वर्ष 2019 में देश के 256 जल की कमी वाले जिलों में समयबद्ध, मिशन-आधारित जल संरक्षण अभियान के रूप में जल शक्ति अभियान (जेएसए) का शुभारंभ किया। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2021 में "कैच द रेन - व्येर इट फॉल्स, वेन इट फॉल्स'' टैगलाइन के साथ "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन" जेएसए: सीटीआर का शुभारंभ किया गया।

जेएसए: सीटीआर 2025 का शुभारंभ सामुदायिक भागीदारी और जल संरक्षण जागरूकता पर जोर देते हुए "जल संचय जन भागीदारी: जन जागरूकता की ओर" विषय के साथ किया गया। यह अभियान जल संरक्षण कार्यों की चयन, कार्यान्वयन और रखरखाव में स्थानीय समुदायों को शामिल करते हुए जन भागीदारी पर बल देता है।

जेएसए: सीटीआर के अंतर्गत, जल शक्ति केंद्र (जेएसके) सक्रिय संसाधन और ज्ञान केंद्रों के रूप में स्थापित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य जल संरक्षण, प्रबंधन और उपलब्धता में परिवर्तनकारी बदलाव लाना है। इसके अतिरिक्त, जेएसके किसी जिले में जल संबंधी सभी गतिविधियों के समन्वय में जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टरों की सहायता करते हैं। ये जल संबंधी मुद्दों की आयोजना, तैयारी करने और उनका समाधान करने के लिए सुविधा केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं। ज्ञान केंद्रों के रूप में, जेएसके जल संरक्षण विधियों, जल उपयोग दक्षता, भूजल नीतियों, कुशल सिंचाई तकनीकों, जल गुणवत्ता और अपशिष्ट जल प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सूचना का प्रसार करते हैं। वे तकनीकी मार्गदर्शन केंद्रों के रूप में भी कार्य करते हैं, जो स्थानीय समुदायों को इन मामलों पर सलाह और सहायता प्रदान करते हैं।

जागरूकता बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम) ने युवा कार्य विभाग के साथ सहयोग किया और नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) और उसके युवा क्लबों के व्यापक नेटवर्क का लाभ उठाते हुए जेएसए: सीटीआर अभियान के तहत जल संरक्षण प्रयासों में जमीनी स्तर पर भागीदारी को बढ़ावा दिया।

जल शक्ति मंत्रालय, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान पहल के माध्यम से, जल संरक्षण, सतत स्वच्छता और स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देने में महिलाओं के अनुकरणीय योगदान को स्वीकार करता है और प्रोत्साहन देता है। यह मान्यता जल संरक्षण और इसके सतत उपयोग की दिशा में सामुदाय-आधारित प्रयास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। मार्च 2019 से एक मासिक "वॉटर टॉक" श्रृंखला चल रही है, जिसमें महिलाओं, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं, विशेषज्ञों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों सहित विभिन्न भागीदारों को जल संरक्षण के अपने सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

इसके अलावा, चल रहे जेएसए: सीटीआर के तहत, विभिन्न क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण और जल संरक्षण के कई नए मॉडल देखे जा रहे हैं, जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल और समुदाय-आधारित समाधानों की विविधता को प्रदर्शित करते हैं। अगस्त 2020 से एक अलग जागरूकता अभियान, "जिला मजिस्ट्रेटों के साथ संवाद", भी आयोजित किया गया है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/ उपायुक्त जल संरक्षण में अपने जमीनी स्तर के नवाचारों और अनुभवों को साझा करते हैं, जिससे आपसी ज्ञानवर्धन को बढ़ावा मिलता है और सफल प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरणा मिलती है।

जेएसए: सीटीआर को और मजबूत बनाने के लिए 6 सितंबर 2024 को सूरत, गुजरात में "जल संचय जन भागीदारी" (जेएसजेबी) पहल शुरू की गई। जेएसजेबी पहल का उद्देश्य कम लागत और अधिकतम क्षमता के साथ वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण हेतु सामुदायिक भागीदारी को तीव्र करना है। यह पहल सामुदायिक निधियों, व्यक्तिगत दान, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधियों और अन्य स्रोतों का उपयोग करते हुए स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से बोरवेल, रिचार्ज शाफ्ट, रिचार्ज पिट जैसी कम लागत वाली संरचनाओं का निर्माण करती है, जिससे वर्षा जल का संचयन करके भूजल स्तर को बढ़ाया जा सके और जल संबंधी समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान प्रदान किया जा सके। इसका उद्देश्य समाज और सरकार के समग्र सहयोग से सामूहिक प्रयासों के माध्यम से पानी की हर बूंद का संरक्षण सुनिश्चित करना है। सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देकर, यह पहल जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण के लिए सूक्ष्म स्तर पर लागत प्रभावी, स्थानीय समाधान विकसित करने का प्रयास करती है। जेएसजेबी पहल तीन सी-कम्यूनिटी, सीएसआर और कॉस्ट के सिद्धांत द्वारा निर्देशित है, जो प्रभावी समन्वय और अधिकतम परिणामों को सुनिश्चित करती है। सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकारियों के साथ साझेदारी में जेएसजेबी पहल को बढ़ावा देती है जिससे इसकी व्यापक पहुंच और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस पहल का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्टों, नागरिक समाजों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे हितधारकों के साथ साझेदारी स्थापित करना है ताकि व्यापक रूप से समुदाय को प्रभावी ढंग से शामिल किया जा सके।

जेएसजेबी पहल के अंतर्गत, विभिन्न क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण और जल संरक्षण के कई नए मॉडल देखे जा रहे हैं, जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल और समुदाय-आधारित समाधानों की विविधता को दर्शाते हैं। इनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं।

i. “कर्मभूमि से मातृभूमि” मॉडल गुजरात में कार्यरत व्यक्तियों द्वारा अपने गृह राज्यों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में भूजल पुनर्भरण परियोजनाओं में किए गए योगदान को दर्शाता है। इस स्वैच्छिक और भावनात्मक निवेश ने सतत भूजल पुनर्भरण के लिए अंतरराज्यीय समर्थन को संभव बनाया है।

ii. गुजरात में गिर गंगा ट्रस्ट मॉडल जल संरक्षण के लिए परोपकारी और समुदाय-आधारित दृष्टिकोण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। स्थानीय समुदायों ने पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण, संचालन और रखरखाव में श्रम और संसाधनों के माध्यम से सक्रिय योगदान दिया है, जिससे स्वामित्व की भावना और दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ावा मिला है। यह मॉडल दर्शाता है कि नागरिक समाज की भागीदारी भूजल पुनर्भरण प्रयासों को व्यापक स्तर पर बढ़ाने में किस प्रकार परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकती है।

iii. महाराष्ट्र में जल तारा मॉडल के अंतर्गत किसान कृषि भूमि पर व्यवस्थित रूप से 4 फीट×4 फीट×6 फीट आकार के मानकीकृत जल पुनर्भरण पिट बनाते हैं। यह सरल तकनीक किन्तु प्रभावशाली हस्तक्षेप जल के रिसाव को काफी हद तक बढ़ाता है और उथले जलभृतों

के पुनर्भरण में सहायक होता है, जिससे फसल उत्पादकता और भूजल स्थिरता दोनों को लाभ होता है।

iv. छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का 5% मॉडल दर्शाता है कि कृषि योग्य भूमि के 5% हिस्से पर सीढ़ीदार पुनर्भरण पिट बनाकर स्थानीय जलभृत पुनर्भरण को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। यह मॉडल जल संरक्षण को भूमि उपयोग नियोजन और कृषि पद्धतियों में सीधे एकीकृत करता है, जिसके परिणामस्वरूप मिट्टी में नमी बनाए रखने की क्षमता बढ़ती है और भूजल स्तर में सुधार होता है। प्रत्येक खेत में, "पिट के भीतर पिट" डिजाइन में एक उथला सीढ़ीदार जलभृत पिट बनाया जाता है, जिसमें किसान स्वेच्छा से अपनी कृषि योग्य भूमि का 5% हिस्सा देते हैं।

v. गुजरात के बनासकांठा में, शुष्क क्षेत्रों में कम लागत वाली कृत्रिम जल पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण पर केंद्रित एक व्यापक पहल की गई है। यह पहल कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि और किसान सहकारी समितियों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से संभव हो पाई है। यह मॉडल दर्शाता है कि कैसे सार्वजनिक-निजी सहयोग क्षेत्रीय जल संकट को प्रभावी ढंग से दूर कर सकता है और जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक व्यापक और अनुकरणीय समाधान प्रदान करता है।

पंचायती राज संस्थाएं समुदायों को एकजुट करने, स्थानीय स्तर पर योजना बनाने और जल संरक्षण कार्यों के सहभागी कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। महिला स्वयं सहायता समूह, युवा, छात्र और स्थानीय सामुदायिक समूह जागरूकता पैदा करने, व्यवहार परिवर्तन संचार और सामाजिक एकजुटता में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, जिससे जमीनी स्तर पर भागीदारी और स्वामित्व मजबूत होता है। स्थानीय हितधारकों की क्षमता सृजन और संवेदीकरण, जेएसए: सीटीआर और जेएसजेबी का अभिन्न अंग है। जल संरक्षण कार्यों, कार्यान्वयन और निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए संरचित दिशा-निर्देशों और चेकलिस्टों के सहयोग से केंद्रीय नोडल अधिकारियों और जिला मजिस्ट्रेटों के साथ समीक्षा और समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं। आधारभूत स्तर पर जागरूकता, तकनीकी समझ और सहभागी कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए आईईसी गतिविधियां, सामुदायिक बैठकें और आधारभूत फील्ड संपर्क स्थापित किए जाते हैं।

जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल के अंतर्गत, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/पानी समिति की योजना बनाने, समुदायों को संगठित करने और उनसे जुड़ने, सूचना का प्रसार करने तथा जल आपूर्ति अवसंरचना के दीर्घकालिक संचालन एवं रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने में मार्गदर्शन और प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से गैर सरकारी संगठनों/सामुदायिक संगठनों/स्वयं सहायता समूहों/स्वैच्छिक संगठनों को कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। स्थानीय ग्राम समुदाय को योजना बनाने, कार्यान्वयन करने और संचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी संभालने में सक्षम बनाने के उद्देश्य

से, जल जीवन मिशन के अंतर्गत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से नल जल मित्र कार्यक्रम (एनजेएमपी) शुरू किया गया है।

सामुदायिक भागीदारी सहित निरंतर और संचयी प्रयासों के परिणामस्वरूप, आंकड़े दर्शाते हैं कि देश में भूजल की समग्र स्थिति में स्थायी रूप से सुधार हो रहा है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) के सक्रिय भूजल संसाधन आकलन आंकड़ों के अनुसार, देश में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण वर्ष 2017 से वर्ष 2025 के बीच 432 बीसीएम (बिलियन क्यूबिक मीटर) से बढ़कर 448.52 बीसीएम हो गया है। सक्रिय भूजल संसाधन आकलन वर्ष 2020 और वर्ष 2025 के अनुसार अति-दोहित (ओ), गंभीर (सी) और अर्ध-गंभीर (एस) श्रेणियों में आकलन इकाइयों की राज्य-वार तुलनात्मक स्थिति (प्रतिशत में) **अनुलग्नक** में संलग्न है।

अनुलग्नक

"जल संरक्षण परियोजनाओं में सामुदायिक भागीदारी" के संबंध में दिनांक 19.03.2026 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न संख्या 4492 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भूजल संसाधन अनुमान -2020			भूजल संसाधन अनुमान -2025		
		अति-दोहित (%)	गंभीर (%)	अर्ध- गंभीर (%)	अति-दोहित (%)	गंभीर (%)	अर्ध- गंभीर (%)
1	आंध्र प्रदेश	3.45	2.25	6	1.8	0.4	3.5
2	अरुणाचल प्रदेश	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	असम	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.41
4	बिहार	1.31	0.94	9.55	0.56	2.24	9.16
5	छत्तीसगढ़	0.0	6.16	18.49	0.0	3.42	14.38
6	गोवा	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	गुजरात	10.08	1.61	9.68	9.92	1.19	12.30
8	हरियाणा	60.28	8.51	9.93	63.64	4.20	10.49
9	हिमाचल प्रदेश	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	झारखंड	1.16	0.77	3.86	2.28	1.90	4.56
11	कर्नाटक	22.91	4.41	15.42	18.99	4.64	15.19
12	केरल	0.0	1.97	19.08	0.0	1.32	17.76
13	मध्य प्रदेश	8.21	2.52	15.77	8.20	1.89	20.19
14	महाराष्ट्र	0.0	2.27	17.85	1.95	1.39	11.14
15	मणिपुर	2.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	मेघालय	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	मिजोरम	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	नागालैंड	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	ओडिशा	0.0	0.0	1.91	0.0	0.0	3.18
20	पंजाब	78	4	6.67	72.55	6.54	9.80
21	राजस्थान	68.81	7.8	9.83	70.53	7.62	8.94
22	सिक्किम	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	तमिलनाडु	37.31	5.4	19.3	32.91	7.35	19.49
24	तेलंगाना	7.47	7.47	30.56	3.71	3.06	16.94
25	त्रिपुरा	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

26	उत्तर प्रदेश	7.95	5.9	20.96	6.46	5.74	20.45
27	उत्तराखंड	0.0	0.0	22.22	0.0	0.0	20
28	पश्चिम बंगाल	0.0	0.37	28.36	0.0	2.61	9.86
29	अंडमान और निकोबार	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	चंडीगढ़	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0
31	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	दिल्ली	50	20.59	20.59	29.41	32.35	17.65
33	जम्मू और कश्मीर	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	लद्दाख	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.56
35	लक्षद्वीप	0.0	0.0	22.22	0.0	0.0	20
36	पुडुचेरी	0.0	25	0.0	12.50	0.0	37.50
